फर्द अहकाम

अज अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम –भरतपुर

ऋषभ शर्मा **बनाम** लो.सू.अ. जिला परिवहन अधिकारी, भरतपुर

किस्म मुकदमा–अपील आर.टी.आई. नम्बर 21 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
13.05.2025	प्रार्थी/अपीलान्ट ऋषभ शर्मा पुत्र श्री दिनेश चन्द शर्मा अनाह गेट बजरिया, भरतपुर की यह अपील आर टी आई 2005 के तहत विरूद्ध जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ सलंग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. 2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलै0 भरतपुर से सूचना चाही गई थी। चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई 2005 के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत प्रस्तुत अपील एवं संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि चाही गई सूचना जिला परिवहन अधिकारी से सम्बन्धित होने के कारण आर.टी.आई. 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलै0 भरतपुर द्वारा मूल प्रार्थना पत्र जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर को पत्रांक राजस्व/आर.टी.आई./12/12/( ) 2025/1766 दिनांक 03.04.2025 से प्रेषित किया जा चुका है। चाही गई सूचना जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर के स्तर पर लम्बित है। आर.टी.आई. 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी जिला परिवहन अधिकारी भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील को वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	485266 26/5/25 वापस लौटाई